

4 1/2
22

पत्तावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अड्डा।
वकील प्रार्थी को आवाज दिलायी गयी।
अप्रार्थी वकील अड्डा रहा। थोड़ी-थोड़ी देर
बाद पुनः आवाजे दिलायी गयी परन्तु
वकील अप्रार्थी अड्डापास रहा। अतः
प्रकारण अदम हाजरी, अदम फीरनी में
खारिज किया जाता है। पत्तावली
दुर्ज रजिस्टर से काम भी जाकर
दफ्तर दाखिल है।

७

